

(4) समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंधक शासक परिषद् संचालकोंसमा या शासी निकाय को सौंपा गया है जिनके नाम पते तथा उन्होंका उल्लेख निम्नांकित है।

(५) समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के साथ समिति के विनियमों की प्रमाणित प्रति जैसा कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (का क्रमांक ४४) की धारा ५ की उप धारा (१) के अधीन है संलग्न है।

Kiran YADAV  
- अभियंता -  
श्री विजय राज कल्याण समिति  
विजय राज कल्याण शर्मा (प्र.)

  
Dr. B. R. Ambedkar  
Chairman, Drafting Committee  
Government of India  
(N.B.)

वीरभानुस्तु  
कोषाध्यक्ष  
(कमल शिक्षा एवं वाल कल्याण समिति)  
नौने राम्लर, मुरार मध्याचिंहर (गोप्र.)